

110000/10000  
प्राति निर्णय दिनांक 18-3-2020  
स्थगन प्रार्थना पत्र सं. R.M. 3/2020

मसराराम व नाम राजस्थान सरकार  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

—\*\*\*—

18-3-20 प्राथी के वकील उपस्थित। अप्राथी  
की ओर से सरकारी वकील उपस्थित।  
इस प्रकार से संबंधित मूल अपील में  
निर्णय हो चुका है। अतः अब इस  
स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई अर्थ  
नहीं होने से यह स्थगन प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फंसल  
सुमार होकर नम्बर को कम हो / निर्णय  
द्वारे इजलास सुनाया गया। यह प्रकरण  
मूल अपील के साथ संलग्न किया जावे।